(iii) Adjustments from the pending bills of the transporters.

(iv) Vigorous follow up with the State Govemment of J&K; and

(v) Handing over the case to CBI for investigations.

(c) Prior to February, 1994, the trucks were being requisitioned from the local Jammu truck union for despatches of foodgrains/sugar to valley. The truck union was not prepared to execute any agreement with FCI and there was no accountability of loss in transit. Coupled with it, due to the law and order situation there has always been delay in reconcilitation of trucks despatched to valley since many a times the trucks were either diverted or were lost due to law and order problems. As a result a total of 1712 trucks remained to be reconciled between the period 1989-90 to 1995-96. Out of these the number of unreconciled trucks at present is 227.

(d) Transport Union of Jammu, has deposited an amount of Rs. 6.48 lakhs being the cost of 12 trucks of foodgrains/sugar. The process of recovery of losses is continuing vigorously.

(e) In case any FCI Officer is found lacking
in his responsibilities in the light of the investigations of the Police and CBI, appropriate action will be taken against the concerned officer.

(f) FCI has made its own transport arrangement since April, 1996 and these contractors are responsible for any stocks lost in transit.

गेहूं आयात के मामले में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन

923.**श्री सोमपाल** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष के दौरान आयात किए गए अथवा किए जाने वाले गेहूं की मात्रा तथा मूल्य देश-वार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कनाडा से आयात किए गए गेहूं के मामले में वांछित गुण्वत्ता तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन के संबंध में 31 जनवरी, 1997 के "स्टेट्समैं" में प्रकाशित समाचार सही है;

(ग) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार को इस संबंध में आगाह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मानदण्डों को शिथिल किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ड) इस प्रकार आयातित गेहूं की मात्रा कितनी है और क्या ऐसा गेहूं कनाडा के अलावा किसी अन्य देश से आयात किया गया था?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक विवरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सरकार ने गेहूं की घरेलू उपलब्धता को बढाने के लिए 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 14.2.1997 तक 16.75 लाख टन गेहूं आयात के लिए ठेकों को अंतिम रुप दिया है जिसकी दरें निम्नानुसार है:-

स्रोत	मात्रा (लाख टन में किए गए ठेके)	मुल्य (अमेरिका डालर प्रति टन में)
आस्ट्रेलिया	13.25	148-156 (जहाज तक निष्प्रभार)
कनाडा	2.50	152.50 (जहाज तक निस्प्रभार)
अर्जेन्टीना	1.00	173.00 (सी. एंड एफ.)

(ख) से (ड़) जी, नहीं, भारतीय राज्य व्यापार निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती है कि आयातित गेहूं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित किए गए पैरामीटरों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सफाई और संगरोध संबंधी मानदण्डों के अनुरुप हो। ठेकों की शर्तों के अनुसार, कनाडा और आस्ट्रेलिया में जहाज में लादे जाने वाले गेहूं की लदान से पूर्व सरकारी एजेंसियों द्वारा और अर्जेन्टीना में अंतर्राष्ट्रीय साख वाले गुणवत्ता सर्वेक्षकों द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

Imported substandard Canadian Wheat

924. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether wheat was recently imported from Canada and other countries;

(b) if so, whether the import consignment from Canada has failed the test as per the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act and has been found to be of substandard quality;